

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान-2008)के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य / प्रधानाध्याक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी -1/11/11) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7
1	सुखपाल शर्मा प्रधानाचार्य राउमावि, नारहेडा (जयपुर)	29.10.59	15.12.93 प्र0अ0	14.12.13 20 वर्ष	15.12.14 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
2.	अरुणकुमार यादव प्रधानाचार्य, राउमावि, सौराई (अलवर)	02.07.69	17.07.96 व्याख्याता	17.07.16 20 वर्ष	18.07.16 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
3.	रामावतार अरुण प्रधानाचार्य, विवेकानंद उमावि, बानसूर(अलवर)	08.09.66	23.11.96 व्याख्याता	22.11.16 20 वर्ष	23.11.16 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
4.	देवेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रधानाचार्य, सेनि. राउमावि, बालेटा (अलवर)	06.09.55	08.08.81 व्याख्याता	07.08.11 30 वर्षीय	08.08.11 30 वर्षीय	15600-39100 6800/-
5	सत्येन्द्रकुमार शर्मा से.नि.प्रधानाचार्य, राउमावि, देवली (दौसा)	26.12.56	30.09.78 व0अ0	29.09.08 30 वर्ष	30.09.08 30 वर्षीय	9300-34800 5400/-
6	प्रभुदान राव अति.जिशिअ (माध्यमिक) जालौर	25.03.58	09.07.93 प्र0अ0	08.07.13 20 वर्ष	09.07.13 20 वर्षीय	15600-39100 6800/-
7	मोतीलाल टेलर प्रधानाचार्य, राआउमावि, जैसा (बाडमेर)	11.07.58	03.09.83 व्याख्याता	02.09.13 30 वर्ष	03.09.14 30 वर्षीय	15600-39100 6800/-
8	वेद प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य, राउमावि, बदीपुर (भरतपुर)	05.01.60	25.09.85 व0अ0	24.09.15 30 वर्ष	25.09.15 30 वर्षीय	15600-39100 6800/-

नोट:- 1-क्रम सं. 1 को एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के कारण एसीपी एक वर्ष बाद से स्वीकृत की गई है।

2- क्रम सं. 2 को व्याख्याता पद पर दिनांक 17.07.96 को मध्याह्न पश्चात कार्य ग्रहण करने के कारण एसीपी दिनांक 18.07.16 से स्वीकृत की गई है।

3- क्रम सं. 04 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नकद लाभ देय होगा।

4- क्रम सं. 7 को दिनांक 18.09.12 से एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा परिनिन्दा के दण्ड में परिवर्तित करने के फलस्वरूप एसीपी एक वर्ष बाद से स्वीकृत की गई है।

एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड -पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(बी0एल0 स्वर्णकार)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान बीकानेर।

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4/एसीपी/2016/29

दिनांक: 09.3.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक प्रथम/द्वितीय)

2-संस्था प्रधान

3-संबंधित अधिकारी

4-सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर